Organisation and Ors Vs the Union of India and Ors.

The scheme has since been filled before the supreme Court of India.

इंदिरा आवास योजना

486. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :**

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात में इंदिरा आवास योजना के अतंर्गत जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्सा है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार) : (क) और (ख) इन्दिरा आवास योजना जो कि चल रही योजना है, के अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे गैर अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों को आवास मुहैया किये जाते हैं। 1995-96 के दौरान गुजरात राज्य सरकार के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 28501 के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। गुजरात सरकार के निवेदन पर जनजाति क्षेत्रों किया गया। गुजरात सरकार के निवेदन पर जनजाति क्षेत्रों सहित सारे राज्य के लिए 6000 मकानों के निर्माण के अतिरिक्त लक्ष्य की मंजूरी दी गई है।

इंदिरा आवास योजना के अतंर्गत लक्ष्य

487. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन्दिरा आवास योजना आवास के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है,

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त योजना के अतंर्गत प्रत्येक राज्य को प्रति वर्ष कितनी धनराशि प्रदान की गई है,

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में उपरोक्त अवधि के दौरान अब तक कितने मकान बनाये गये हैं,

(घ)इस योजना के अंतर्गत सरकार प्रत्येक राज्य को चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि कराने का विचार रखती है, और

(ड़) इस योजना के अतंर्गत प्रत्येक राज्य में चालू वर्ष के दौरान कितने मकानों का निर्माण किये जाने का विचार हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विलास गाबूराव मुत्तेमवार) : (क) इन्दिरा आवास योजना वर्ष 1985-86 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे मुक्त बंधुवा मजदूरों को नि:शुल्क आवासीय इकाइयां उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण गरीबों को रोजगार भी मुहैया कराना है। वर्ष 1993-94 से इस योजना का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। वर्ष 1993-94 से इस योजना का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण गरीबों को भी इसके अंतर्गत लाया गया है। लेकिन शर्त यह है कि गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को लाभ कुल आबंटन के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं मिलना चाहिए। 1995-96 से योजना का लाभ लड़ाई में मारे गए सशस्त्र सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलो के सैनिकों के लिए भी लागू कर दिया गया है। उपर्युक्त श्रेणियों में से लाभार्थियों का चयन करते समय अत्याचारों से पीड़ितों, उन परिवारों जिनकी मुखिया विधवा महिलाएं या अविवाहित महिलाएं हैं, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों, अथवा विकास परियोजनाओं से बेघर परिवारों, खानाबदोशों अर्ध खानाबदोशों, अनुसूचित जनजाति, आन्तरिक शरणार्थियों, विकलांग परिवारों को प्राथमिकता है।

राज्य के आबंटन के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय वर्ष दर वर्ष के आधार पर इंदिरा आवास योजना के लक्ष्यों को निर्धारित करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को वर्षवार मुहैया की गई राशि विवरण – 1 में दी गई है। (**नीचे देखिए**) **।**

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में अब तक निर्मित मकानों की वर्षवार संख्या विवरण – 2 में दी गई है। (**नीचे देखिए**) **।**

(घ) और (ड़) चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को मुहैया की जाने वाली प्रस्तावित राशि तथा चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य में

जितने मकान निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है उनकी संख्या अनुबंध – 3 में दिया गया है ।

विवरण – 1

इन्दिरा आवास योजना कें अंतर्गत केन्द्रीय आबंटन

(लाख रुपये में)

क्रमांक सं0	**राज्य/यंघ क्षेत्र**	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	3796.43	1969.61	2667.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	32.72	25.80	25.80
3.	असम	165.92	648.39	713.70
4.	बिहार	1981.29	3863.31	5630.95
5.	गोआ	1.06	27.88	27.88
6.	गुजरात	728.41	723.00	1106.83
7.	हरियाणा	107.29	173.67	191.17
8.	हिमाचल प्रदेश	65.03	88.58	88.58
9.	जम्मू व कश्मीर	23.14	125.74	248.30
10.	कर्नाटक	659.29	1322.50	1832.91
11.	केरल	210.37	499.06	529.61
12.	मध्य प्रदेश	2199.57	2495.78	3966.67
13.	महाराष्ट्र	1112.77	2147.14	3180.82
14.	मणिपुर	7.27	33.07	33.07
15.	मेघालय	50.91	38.69	38.70
16.	मिजोरम	30.66	16.30	16.30
17.	नागालैंड	53.73	41.48	41.48
18.	उड़ीसा	988.53	1597.81	2330.26
19.	पंजाब	154.59	130.74	175.94
20.	राजस्थान	914.97	1036.90	1506.86
21.	सिक्किम	7.26	15.10	15.10
22.	तमिलनाडु	858.53	1780.50	2230.26
23.	त्रिपुरा	39.56	42.95	42.95
24.	उत्तर प्रदेश	2349.29	4799.87	5950.14
25.	पश्चिम बंगाल	1401.67	1765.06	2432.84
26.	अंडमान और निको0	2.00	15.27	15.27
27.	दादर व न0 हवेली	0.00	0.00	0.00
28.	दमन व द्वीप	0.99	4.8	4.88
29.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
30.	पांडिचेरी	7.05	14.95	14.95
	कुल :	17910.78	25444.05	35009.71

विवरण - 2

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकान

क्रमांक सं0	**राज्य/ संघ शासित क्षेत्र**	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	10961	44897	57483
2.	अरूणाचल प्रदेश	218	120	219
3.	असम	1037	4304	6862
4.	बिहार	28189	88960	59216
5.	गोआ	55	84	201
6.	गुजरात	4889	7117	7895
7.	हरियाणा	1002	1552	3536
8.	हिमाचल प्रदेश	351	629	853
9.	जम्मू व कश्मीर	425	390	1697
10.	कर्नाटक	7197	8820	13831
11.	केरल	4100	4827	3891
12.	मध्य प्रदेश	47156	48108	48967
13.	महाराष्ट्र	8778	18870	22812
14.	मणिपुर	213	208	171
15.	मेघालय	432	318	241
16.	मिजोरम	224	240	368
17.	नागालैंड	1603	1536	895
18.	उड़ीसा	11305	10581	13297
19.	पंजाब	3359	2739	3849
20.	राजस्थान	10541	19958	28934
21.	सिक्किम	140	142	108
22.	तमिलनाडु	144	33758	33176
23.	त्रिपुरा	343	636	567
24.	उत्तर प्रदेश	22218	47722	47555
25.	पश्चिम बंगाल	13300	13389	15526
26.	अंडमान निको0 द्वीप	20	21	21
27.	दादर व न0 हवेली	52	60	59
28.	दमन व द्वीप	21	13	45
29.	लक्षद्वीप	0	0	0
30.	पांडिचेरी	47	48	0
	कुल	192585	360047	372275

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

488. **श्री ईश दत्त यादव** :

श्री नागमति :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**